न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(परशुराम धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 26/2020
प्रविष्टि दिनांक 09.10.2020

दी सेण्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान, जरिये प्रबंधक (परिचालन)/प्रभारी अधिकरी– श्री विक्रम सिंह चौधरी, दी सेण्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय टोंक राजस्थान

–अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान
2. नायब तहसीलदार टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान
3. प्रेम पुत्री धन्ना बैरवा निवासी छाणबास सूर्या, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान
4. नाथूलाल पुत्र प्रभू बैरवा निवासी छाणबास सूर्या, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान
5. संतरा पत्नि प्रभू बैरवा निवासी छाणबास सूर्या, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान
6. सुनिता पुत्री प्रभू बैरवा निवासी छाणबास सूर्या, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान
7. सोनू पुत्र प्रभू बैरवा निवासी छाणबास सूर्या, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान
8. पूरणमल पुत्र रामदेव खटीक जाति खटीक निवासी अमीनपुरा, तहसील व जिला टोंक राज.

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 1443 दिनांक 09.12.2019

उपस्थिति : (1) श्री विजय कुमार पारीक, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक एंव श्री रामप्रसाद कुमावत नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 15.06.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रभू पुत्र धन्ना एवं प्रेम पुत्री धन्ना की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1001 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1004 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1424 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 1428 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 1563/1758 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 1564 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 855 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 893 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 932 रकबा 0.05 हैक्टर वाके ग्राम छाणबास सूर्या, पटवार क्षेत्र जैकमाबाद तहसील टोडारायसिंह में स्थित हैं। इसके साथ ही खसरा नम्बर 1570 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 851 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 894 रकबा 0.05 हैक्टर वाके ग्राम छाणबास सूर्या, पटवार क्षेत्र जैकमाबाद, तहसील टोडारायसिंह में स्थित हैं। वर्णित भूमि को उनके खातेदारान द्वारा अपीलांट बैंक के यहां ट्रैक्टर एव केएमवाई के ऋण हेतु रहन रखकर दिनांक 30.05.2009 को 4,81,000/– रूपये का एवं केएमवाई ऋण राशि क्रमशः 75,000/– रूपये एवं 75,000/– रूपये का अपीलांट बैंक से प्राप्त किया गया था। उक्त ऋण के पश्चात् अपीलांट ने धारा 6(1) दिनांक 26.05.2009 को तहसील कार्यालय में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

रहन के इन्द्राज हेतु रेस्पोडेण्ट के समक्ष भिजवाया गया था। किन्तु रेस्पोडेण्ट द्वारा उक्त खातेदारान की भूमि पर अपीलांट बैंक के नाम रहन का इन्द्राज नहीं कर गलत रूप से नामान्तकरण सं. 1443 दिनांक 09.12.2019 को खारिज किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलांट बैंक की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की गई। रेस्पोडेण्ट सं0 3 ता 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध दिनांक 16–12–2021 को एकतरफा कार्यवाही की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार रेस्पोडेण्ट द्वारा खारिज किया गया उक्त नामान्तकरण आदेश त्रुटिपूर्ण हैं और निरस्त किये जाने योग्य हैं। दिनांक 26.05.2009 को तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा उक्त भूमि पर नामान्तकरण सं. 217 से अपीलांट बैंक के पक्ष में रहन का इन्द्राज करने हेतु सम्बन्धित पटवारी को आदेशित किया गया था। उसके उपरांत सम्बन्धित राजस्व कर्मचारी द्वारा उक्त नामान्तकरण का एवं रहन का इन्द्राज अपीलांट के नाम जमाबंदी में किया जाना था, किन्तु उसके द्वारा रहन का इन्द्राज अपीलांट के नाम दर्ज नहीं किया गया। खातेदारान द्वारा अपीलांट बैंक के ऋण का भुगतान नहीं किये जाने के कारण ऋण वसूली की कार्यवाही हेतु तहसीलदार से उक्त भूमि की जमाबंदी प्राप्त करने पर अपीलांट बैंक को ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि पर अपीलांट बैंक के नाम रहन का इन्द्राज ना होकर एसबीबीजे टोडारायसिंह के नाम रहन का इन्द्राज दर्ज हैं। इस पर अपीलांट ने नकल प्राप्त कर तहसीलदार के समक्ष दिनांक 30.06.2016 व दिनांक 08.07.2019 को पुनः तहसील कार्यालय में रहन दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तो तहसीलदार ने दिनांक 28.08.2019 को एक नामान्तकरण सं. 1418 तो अपीलांट बैंक के पक्ष में कर दिया तथा दूसरा नामान्तकरण 1443 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि " बैंक का 6(1) दिनांक 26.05.2009 का है, जिससे दर्ज किया जाना संभव नहीं हैं।" इस प्रकार एक नामान्तकरण तो तस्दीक कर दिया जबकि दूसरा नामान्तकरण बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया जबकि बैंक द्वारा 6(1) दिनांक 26.05.2009 को भिजवा दिया गया था, जिसको तहसीलदार ने जरिये नामान्तकरण सं. 217 के दर्ज कर लिया गया था तो उक्त नामान्तकरण को जब तक खातेदारान द्वारा अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक उक्त रहन के इन्द्राज को हटाया जाना कानूनी रूप से विधि सम्मत नहीं है। फिर भी तहसीलदार द्वारा अपीलांट बैंक के पक्ष रहन का नामान्तकरण तस्दीक नहीं कर उक्त नामान्तकरण खारिज कर भारी कानूनी भूल की हैं। अपीलांट बैंक के नाम रहन का इन्द्राज नहीं होने के कारण खातेदारान ने अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन शुदा भूमि का विक्रय कर दिया, जबकि तहसीलदार को अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पेश कर वर्णित भूमि रहनशुदा होने एवं रहन रखे जाने का निवेदन किया गया था, किन्तु उसके उपरांत भी रेस्पोडेण्ट द्वारा गलत रूप से उक्त नामान्तकरण खारिज करने का आदेश पारित किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेण्ट द्वारा खारिज किये जाने वाले नामान्तकरण सं. 1443 दिनांक 09.12.2019 को यथावत रखे जाने तथा विवादित भूमि खसरा नम्बर 1001 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1004 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1424 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 1428 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 1563/1758 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 1564 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 855 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

नम्बर 893 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 932 रकबा 0.05 हैक्टर वाके ग्राम छाणबास सूर्या, पटवार क्षेत्र जैकमाबाद तहसील टोडारायसिंह को अपीलांट बैंक के नाम रहन रखने के आदेश रेस्पोडेण्ट को प्रदान करें। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट अलग से प्रस्तुत किया जा रहा हैं जिसे स्वीकार किया जावें। अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में दस्तावेजात आदेश दि0 21.09.2020, प्रबन्ध निदेशक सीसीबी, नामा0 सं0 1443,1418,1431,1423 एंव रहननामा,नकल पत्र एसडीओ टोडारायसिंह नकल पत्र 30.06.2016, 08.07.2019 एंव 16.09.2019 की प्रतियॉ प्रस्तुत की गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि नामान्तरकरण सं0 1443 दिनांक 22–10–2019 में नोट अंकित किया गया था कि खसरा नम्बर 1424 रकबा 0.73 है0 व 1428 रक्बा 0.60 है0 पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय टोडारायसिंह के आदेश क्रमांक 10–2019 एव तहसीलदार के आदेश 4710 दिनांक 25.10.2019 से दिनांक 24.12.2019 तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति व स्थगन होने से उक्त खसरा नम्बर नामान्तरकरण में अंकित नहीं किया गया एंव बैंक का 6(1) 20–5–09 का है जिससे रहन दर्ज किया जाना संभव नहीं है। तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा पारित निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामा0 की प्रति का अध्ययन करने से विदित होता है कि नामान्तरकरण सं0 1443 दिनांक 22.10.2019 में नोट अंकित है कि खसरा नम्बर 1424 रकबा 0.73 है0 व 1428 रक्बा 0.60 है0 पर उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के आदेश एव तहसीलदार के आदेश क्रमांक 4710 दिनांक 25–10–2019 से दिनांक 24.12.2019 तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति व स्थगन होने से रहन दर्ज नहीं किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के साथ उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के प्रकरण संख्या 220/2019 दावा पूरणमाल बनाम नाथूलाल की आदेशिका दिनांक 17.06.2020 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें प्रकरण नोट प्रेस में खारिज किया जा चुका है, जिससे जाहिर हे कि वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह न्यायालय से प्रकरण का निस्तारण हो चुका है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1443 दिनांक 22.10.2019 वाके ग्राम छाण बास सूर्या पटवार मण्डल जेकमाबाद तह0 टोडारायसिंह को इस आदेश से तहसीलदार टोडारयसिंह को रिमाण्ड किया जाता है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में यदि किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो तो बाद जांच एंव पक्षकारान को सुना जाकर नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अति.जिला कलेक्टर,टोक